भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(18)

मानननीय सदस्य महोदय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर केम्प, इन्दौर

समक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक ....

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा/2017/6248 प्रस्तुति दिनांक ......6/12/17......

आयुक्त कार्यालय ... 12-12-17 ... 1912

रामेश्वर पिता दयाराम यादव

उम्र – 48 वर्ष, व्यवसाय–कृषि,

निवासी ग्राम बकवाड़ी, तह. राजपुर,

जिला बड़वानी (म.प्र.) ...निगरानीकर्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग
श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 06-12-2017
को प्रस्तुत।
985
06-12-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा पटवारी हल्का नं. 17,

तहसील राजपुर जिला बड़वानी (म.प्र.) ...प्रत्यर्थी

:: निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत::

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 0005/17–18 दिनांक 09/10/2017 को ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने बाबद यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /बडवानी/निगरानी/भूरा/2017/6248

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2—1—2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त इंदौर संभाग के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9—10—17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर दीवार बनाकर अतिकमण होना सिद्ध पाया गया तथा अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासकीय भूमि से अतिकामक आवेदक को बेदखल करने की कार्यवाही करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	